

अनुभाग परिसर सं० - ०८०९०५०

पत्र संख्या-वैट अनु०-पंजीयन व्यवस्था/ ५५१

/वाणिज्य कर
कार्यालय कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(वैट अनुभाग)
दिनांक: लखनऊ: अगस्त ६, २००८

समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-१,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय के परिपत्र संख्या वैट अनुभाग-पंजीयन व्यवस्था/०७-०८/६५९/वाणिज्य कर दिनांक ५.३.२००८ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके पूर्व अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारियों को फार्म VII / VIII भरकर दिनांक ३१.३.२००८ तक दाखिल करने के निर्देश प्रसारित किये गये थे।

उपरोक्त निर्देशों के पश्चात अब भी काफी संख्या में व्यापारियों द्वारा फार्म VII / VIII दाखिल नहीं किये गये हैं। अतः निर्णय लिया गया है कि फार्म VII / VIII दाखिल करने की अवधि दिनांक ३१.१०.२००८ तक बढ़ा दी जाए। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में जारी उपरोक्त संदर्भित परिपत्र संख्या ६५९ दिनांक ५.३.२००८ के द्वितीय पैरा में अंकित तिथि ३१.३.२००८ के स्थान पर दिनांक ३१.१०.२००८ पढ़ा व समझा जाए तथा दिनांक ३१.१०.२००८ तक दाखिल होने वाले फार्म VII / VIII के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए।

(दीपक कुमार)
कमिशनर, वाणिज्य कर, उ०प्र०,
लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक - उक्त

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
२. श्री एस०सी० द्विवेदी/श्री यू०सी० दीक्षित, संयुक्त सचिव कर एवं निबन्धन विभाग उ०प्र० लखनऊ।
३. अध्यक्ष/निबन्धक उ०प्र० वाणिज्य कर लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण उ०प्र०।
४. समस्त एडीशनल कमिशनर/ज्वाइंट कमिशनर, वाणिज्य कर मुख्यालय।
५. अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर लखनऊ।
६. समस्त ज्वाइंट कमिशनर (कार्यपालक)/ (वि०अनु०शा०)/ (अपील)/ (कार्पोरेट सर्किल)/ आर्यल सेक्टर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
७. समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
८. ज्वाइंट कमिशनर/डिप्टी कमिशनर/असिस्टेंट कमिशनर, सर्वो० न्या०कार्य, वाणिज्य कर गाजियाबाद
९. ज्वाइंट कमिशनर/डिप्टी कमिशनर/असिस्टेंट कमिशनर, उच्च न्या०कार्य, वाणिज्य कर इलाहाबाद/लखनऊ।
१०. मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को कमश:-५-५ तथा १० प्रतियां।
११. वैट अनुभाग को ५० प्रतियां तथा विधि अनुभाग, वाणिज्य कर मुख्यालय को २५ प्रतियां।
१२. समस्त डिप्टी कमिशनर/असिस्टेंट कमिशनर/वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर उ०प्र०।
१३. समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय।

(दीपक कुमार)
कमिशनर, वाणिज्य कर, उ०प्र०,
लखनऊ।